सिटिजन चार्टर

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

झारखण्ड, रांची

पता

सूचना भवन
मेयर्स रोड,
रांची, झारखण्ड
पिन - 834008

झारखण्ड सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

विभाग का दृष्टिकोण

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को सौंपे गये दायित्वों एवं अधिदेशो की कार्य पद्वति को जवाबदेह, पारदर्शी, संवेदनशील एवं प्रभावशाली बनाने हेतु दृढ़ संकल्प है। राज्य की जनता को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं से विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए अवगत कराना तथा जनता की समस्याओं एवं क्रिया–प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराना विभाग का प्रमुख दायित्व है, जिसके निर्वह्न हेतु विभाग कृत संकल्प है।

विभाग का लक्ष्य

- **राज्य की जनता को सरकार की नीतियों,** कार्यक्रमों एवं योजनाओं से विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए अवगत कराना तथा जनता की समस्याओं एवं क्रिया–प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराना।
- राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को संचार के विभिन्न माध्यमों यथा प्रेस, प्रकाशन, प्रदर्शनी, होर्डिंग, विज्ञापन आदि के साथ–साथ न्यू एज मीडिया के माध्यम से विस्तृत प्रचार–प्रसार।
- लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ प्रेस को मजबूत बनाने के लिए राज्य के पत्रकारों के कल्याणार्थ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का सम्पादन।
- सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराकर जन–जागरूकता उत्पन्न करना एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं पुनर्गठन हेतु फीडबैक प्राप्त करना।
- पत्रकारों के कल्याणार्थ प्रेस क्लब भवन का निर्माण, संधारण एवं प्रेस क्लब का अनुश्रवण।
- प्रेस / मीडिया संवाददाताओं को प्रमाण पत्र जारी करना।

सेवाएँ

क्रम सं०	सेवाएं	सेवा मानक
1.	लोक शिकायत निवारण • शिकायतों पर कार्रवाई करना • शिकायतों का अनुश्रवण	1. विभाग में संचालित मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र के द्वारा शिकायतों की प्राप्ति, संबंधितों के शिकायतों का निस्तारण करने हेतु अग्रसारित करना एवं अनुश्रवण करना। यह सुनिश्चित किया गया है कि समस्त कार्रवाईयां 30 दिनों के भीतर पूर्ण कर ली जाय। 2. प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को मुख्यमंत्री के सचिव के द्वारा अनुश्रवण एवं प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनुश्रवण।

2.	सूचनाओं का स्वप्रकटीकरण	एक सप्ताह विभागीय वेबसाईट– www.prdjharkhand.gov.in
3.	प्रेस दिवस का आयोजन	प्रत्येक वर्ष– 16 नवम्बर
4.	विभागीय कर्मियों का प्रशिक्षण	समय–समय पर एवं आवश्यकतानुसार
5.	सरकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार	विभिन्न अवसरों पर विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए
6.	झारखण्ड राज्य के प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों/पत्रिकाओं का सूचीबद्धीकरण	पत्र–पत्रिकाओं से आवेदन की प्राप्ति होने के पश्चात् आवेदनों की जांच करते हुए प्रत्येक वर्ष में दो बार जून–जुलाई एवं नवम्बर–दिसम्बर में प्राधिकृत समिति के द्वारा। टोन एवं टेम्परामेंट की जांच भी की जाती है।
7.	सजावटी/सरकारी विज्ञापनों की प्राप्ति एवं समाचार पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशन	विभिन्न विभागों/कार्यालयों से विज्ञापन की ऑनलाईन प्राप्ति होने के पश्चात् उसी दिन विभिन्न समाचार पत्र–पत्रिकाओं को प्रकाशनार्थ प्रेषित। सभी प्रतिष्ठानों को केन्द्रीयकृत रूप से भुगतान किया जाता है।
8.	नई दिल्ली, रांची एवं दुमका में गणतंत्र दिवस पर राज्य का प्रतिनिधित्व	प्रत्येक वर्ष के 26 जनवरी को प्रदर्शित होनेवाली झांकी के थीम का चयन एवं तैयारी
9.	क्षेत्रीय प्रचार कार्य	समय–समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न अवसरों पर स्थानीय लोक भाषा एवं स्थानीय लोक कलाकार दलों के माध्यम से क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार

जन संवाद के लिए नोडल पदाधिकारी

नाम – संजय कुमार झा
पदनाम – सहायक इलेक्ट्रॉनिक अभियंता
पता – द्वितीय तल,
कमरा सं० –203, सूचना भवन, रांची।
टेलीफोन – 0651–2281522

सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत जन सूचना पदाधिकारी

जनसम्पर्क निदेशालय

नाम – रामेश्वर लेयांगी
पदनाम – अवर सचिव
पता – द्वितीय तल,
कमरा सं० –209, सूचना भवन, रांची।
टेलीफोन – 0651–2281522

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

नाम	– अमरेश कुमार
पदनाम	– अवर सचिव
पता	– द्वितीय तल, कमरा सं० –215, सूचना भवन, रांची।
टेलीफोन	– 0651–2281522

विभाग

↓

प्रधान सचिव

↓

- **विभाग** → **संयुक्त सचिव** → **उप सचिव** → **अवर सचिव**
- **निदेशालय** → **निदेशक** → **उप निदेशक** → **सहायक निदेशक**

विभाग का वेबसाईट

www.prdjharkhand.in

1/2/18

उप सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, राँची

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (अधिदेश)

i. प्रेस जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय भी है :–

1. मीडिया (प्रेस, टी.वी., रेडियो, इन्टनेट तथा अन्य संचार साधन) के साथ संपर्क।
2. प्रेस नोट समाचार, लेख आदि मीडिया को जारी करना।
3. मीडिया में प्रकाशित तथा प्रसारित होने वाले सभी समाचारों टोन एवं टेम्पर की समीक्षा।
4. मीडिया प्रतिनिधियों को विभिन्न क्षेत्रों का परिदर्शन कराना।
5. मीडिया सम्मेलन / मीट का आयोजन।
6. प्रेस / मीडिया संवाददाताओं को मान्यता प्रदान करना एवं प्रेस / मीडिया प्रमाण–पत्र जारी करना।

ii. सभी सरकारी सजावटों तथा वर्गीकृत विज्ञापनों का समाचार–पत्रों में प्रसारित कराना एवं तत्संबंधी देयकों का केन्द्रीकृत रूप में भुगतान।

iii. राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं विकास कार्यक्रमों पर विभिन्न भाषाओं तथा माध्यमों में पर्चे, पोस्टर, होर्डिंग, पुस्तिका आदि प्रकाशन से संबंधित प्रचार साहित्य।

iv. राज्य में तथा राज्य के बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकार के उपलब्धियों का प्रचार।

v. भिन्न–भिन्न भाषाओं, अंग्रेजी, हिन्दी / उर्दू में प्रकाशित साप्ताहिक तथा झारखण्ड इन्फारमेशन / झारखण्ड समाचार / झारखण्ड की खबरें, संथाली में प्रकाशित साप्ताहिक होड़ सोम्वाद तथा हिन्दी में प्रकाशित साप्ताहिक आदिवासी पत्रिकाओं द्वारा झारखण्ड के सांस्कृतिक, आर्थिक विकास के बारे में प्रचार।

vi. प्रदर्शनी –

1. राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रदर्शनी लगाना।
2. दूसरे राज्यों, केन्द्रीय सरकार, अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेना।
3. अन्य विभागों के प्रदर्शनी एवं प्रचार–प्रसार में समन्वय।

vii. नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर राज्य का प्रतिनिधित्व।

viii. न्यूजरील, डोक्युमेन्ट्री तथा फीचर फिल्म का निर्माण तथा उसके माध्यम से राज्य में हुए प्रगति, विकास तथा संस्कृति का प्रचार।

ix. रेडियो–आकाशवाणी से सम्पर्क–देहाती रेडियो गोष्ठी–रेडियो के माध्यम से प्रचार।

x. टेलिविजन के माध्यम से प्रचार।

xi. क्षेत्रीय प्रचार–कार्य।

xii. सूचना केन्द्र।

xiii. सूचना एवं जनसम्पर्क में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

xiv. सूचना एवं जनसम्पर्क के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

xv. सोशल मीडिया।

xvi. विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

xvii. विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अंचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

xviii. विभाग के अंतर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

xix. विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई-गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।